भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 215
उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

राष्ट्रीय खेल विकास कोष के अंतर्गत खेल अवसंरचना परियोजनाएं

215. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में, विशेषकर काकीनाड़ा में राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के अंतर्गत अथवा खेल अवसंरचना विकास के लिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत किसी परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, और यदि हाँ, तो मंजूरी की तिथि, परियोजना की लागत और वित्तपोषण की योजना सहित तत्संबंधी ब् यौरा क्या है;

(ख) पूरे हो चुके और लंबित चरणों सहित उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और यदि कोई देरी हुई है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इनके पूर्ण होने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है और इनके समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) चल रही परियोजनाओं के लिए माँगी गई निधियों और इसके लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर काकीनाड़ा में खेल अवसंरचना विकास के लिए एनएसडीएफ या अन्य योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के अंतर्गत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को किसी भी अवसंरचना परियोजना की मंजूरी नहीं दी है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में 10 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 10 परियोजनाओं में से 02 खेल अवसंरचना

परियोजनाओं को काकीनाडा में मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा, इसकी स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष तक है। भूमि अधिग्रहण या प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व अनुदान प्राप्तकर्ता का होता है। मंत्रालय अनुदान प्राप्तकर्ताओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकों और परियोजना निगरानी समिति द्वारा परियोजना स्थल के दौरे के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करता है । जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) की निरंतर निगरानी की जाती है ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और धनराशि समय पर जारी की जा सके। खेलो इंडिया स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार , पूरी की गई औपचारिकताओं/प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को धनराशि जारी की जाती है।

एनएसडीएफ और खेलों इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए उसकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

*****